न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक 95/25 दिनांक 25.9.25

— :: निर्णय :: —

प्रार्थी श्री रामदयाल, प्रह्लाद, महेन्द्र पुत्र/पुत्री/पत्नि रामकल्याण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हलगाना पटवार मण्डल मूण्डल्या तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 92 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति रामलाल जाति चमार अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से रामदयाल जाति मेघवाल अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी मूण्डल्या से करवाने पर पटवारी ने रामलाल जाति चमार के बजाय रामदयाल जाति मेघवाल करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में रामलाल जाति चमार के बजाय रामदयाल जाति मेघवाल करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम हलगाना के खाता संख्या 92 में प्रार्थी खातेदार/~~गैरखातेदार~~ का नाम/जाति रामलाल जाति चमार के स्थान पर सम्मानजनक रूप से रामदयाल जाति मेघवाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)